MGNREGA

1. ***What guarantee regarding employment is provided under this Act?***

Ans. This Act provides not less than 100 days of guaranteed wage employment in a financial year, to every household in the rural areas, whose adult members, by application volunteer to do unskilled manual work.

2. ***What is the procedure for registration and obtaining job cards?***

Ans. An application for purposes of registration under rural areas employment guarantee scheme has to be filed before the Sarpanch of the concerned village. A job card is issued to the registered family within 15 days. Photographs of the adult members of the family who are willing to work under this scheme has to be affixed on the card. The card remains valid for 5 years.

3. ***What is the procedure for obtaining employment?***

Ans. For obtaining employment an application is to be filed before the Sarpanch of the concerned village where the person is registered.

4. ***What is the provision for compensation where the applicant is not provided with employment within 15 days of receipt of application?***

Ans. In case the applicant is not provided with employment within 15 days of receipt of application, he shall be entitled to a Daily Unemployment Allowance at such rates as may specified by the State Government by notification in consultation with the State council. No such rate shall be less than one-fourth of the minimum wage rate for the first 30 days during the financial year and not less than one half of the minimum wage rate for the remaining period of the financial year. The liability of the State Government to pay unemployment allowance shall cease where the adult members of the household have received the total of at least 100 days of work within the financial year or where the household of the applicant has earned as much from the wages and unemployment allowance taken together which is equal to the wages for 100 days of working during the financial year.

5. ***Whether the applicant has to be provided with employment in his own village?***

Ans. Yes the applicant is provided employment in his own village or in nearby village.

<u>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)</u>

प्रश्न रोजगार के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत क्या निश्चितता दी गई है?

उतर यह अधिनियम एक आर्थिक–सत्र पर ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक उस घर को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार देने की निश्चितता प्रदान करती है जिस घर के बालिग सदस्य मजदूरी करने के इच्छुक हो और उन्होनें प्रार्थना पत्र भी दिया हो।

प्रश्न रोजगार कार्ड को पंजीकृत करने की और प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

उतर इस स्कीम के तहत रोजगार प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित गांव के सरपंच के समक्ष पंजीकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है। तत्पश्चात उस परिवार को एक रोजगार कार्ड पारित किया जाता है। सम्बन्धित सदस्यों का फोटो उस रोजगार कार्ड पर लगाया जाता है। यह कार्ड पांच वर्षों के लिए मान्य रहता है।

प्रश्न रोजगार प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

उतर रोजगार प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित गांव के सरपंच के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसके समक्ष पंजीकरण हुआ है।

प्रश्न प्रार्थना पत्र देने के 15 दिनों के अन्दर यदि प्रार्थी को रोजगार न दिया गया तो क्षति–पूर्ति की क्या प्रक्रिया है?

उतर यदि प्रार्थी को आवेदन पत्र देने के 15 दिनों के अन्दर रोजगार न दिया जाए तो प्रार्थी प्रान्त की परिषद के निर्देशानुसार प्रान्तीय सरकार द्वारा निर्धारित बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। यह भत्ता आर्थिक वर्ष में पहले 30 दिनों के लिए कम से कम, वेतन का चौथाई भाग होना चाहिए और बाकी वर्ष के लिए न्यूनतम मजदूरी का कम से कम आधा भाग होना चाहिए। यह बेरोजगार भत्ता देने की सरकार की जिम्मेवारी उस समय समाप्त हो जाएगी जब सम्बन्धित घर का एक बालिग सदस्य एक आर्थिक वर्ष में कम से कम 100 दिन का बेरोजगार प्राप्त कर ले या बेरोजगार भत्ते द्वारा उसने सौ दिन के रोजगार द्वारा प्राप्त आय जितना भत्ता प्राप्त कर लिया हो।

प्रश्न क्या प्रार्थी को अपने ही गांव में रोजगार दिया जा सकता है?

उतर हां, प्रार्थी को अपने या निकटतम गांव में रोजगार दिया जाता है।

6. How to redress the various grievances arising during implementation of this Act?

Ans. In case of grievances arising from implementation of this act the panel advocates and para legals can help the applicants to obtain redressal of the grievances by filing application before BDPO or the Deputy Commissioner. Such disputes can also be taken up at pre litigation stage by the Lok Adalats for speedy disposal of the matter.

प्रश्न इस धारा के लागू होने के दौरान जो शिकायतें पैदा होंगी, उनका निराकरण कैसे किया जाएगा?

उतर इस अधिनियम के तहत होने वाली शिकायतों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल पर नियुक्त वकील प्रार्थी को शिकायत के निराकरण हेतु सहायता दे सकते हैं। इसके लिए प्रार्थी को बी.डी.पी.ओ. अथवा डिप्टी कमिश्नर के समक्ष एक आवेदन पत्र देना होगा। इस तरह के विवादों में शीघ्र सहायता के लिए लोक अदालत द्वारा भी विवाद का निपटारा किया जा सकता है।